दक्षिणी राजस्थान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बाघ से संबधित कुछ तथ्य

सतीश कुमार शर्मा
सहायक वन संरक्षक, वन्यजीव अभयारण्य जयसमन्द
पोस्ट जयसमन्द, जिला–उदयपुर–313905, राजस्थान, भारत
sksharma56@gmail.com

सार

प्रस्तुत समय था जब दक्षिणी राजस्थान में बाघ दूर–दूर तक अच्छी संख्या में विद्यमान थे। लेकिन आजादी के बाद 1970 व 1980 के मध्य इस सुन्दर विडाल का इस क्षेत्र में विलुप्तीकरण हो गया। प्रस्तुत शोध पत्र में दक्षिण राजस्थान के संदर्भ में बाघ के अनेक अनछुए पहलुओं का प्रस्तुतीकरण किया गया है, जिनको अभिलेखों में अंकित किया जाना चाहिये।

बीज शब्द– दक्षिणी राजस्थान, बाघ।

Some aspects related to Tiger (*Panthera tigris*) in the histroical perspective of South Rajasthan

Satish Kumar Sharma
Assistant Conservator of Forests, Wildlife Sanctuary Jaisamand
Post- Jaisamand, District-Udaipur-313905, Rajasthan, India
sksharma56@gmail.com

Abstract

Wide line once tiger was extensively distributed in South Rajasthan. They were present in good numbers also. After independence, this decent cat became extinct from the area between 1970 and 1980. Many unknown aspects releted to tigers of South Rajasthan have been presented in this paper which are worth recording.

1. प्रस्तावना

राजस्थान में छोटी बिल्लियों में जंगली बिल्ली, बिटारी, रेगिस्तानी बिल्ली, मछुआ बिल्ली, शियागोश, चीता बिल्ली, तथा घरेलू बिल्ली एवं बडी बिल्लियों में बाघ, चीता, सिंह, तथा तेंदुआ, कुल 11 बिल्लियाँ ज्ञात रही हैं। इनमें चीता व सिंह राज्य से विलुप्त हो चुके हैं।

बिल्लियों में बाघ का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बाघ के भारत में आने से पहले सिंह(शेर) पश्चिम दिशा से हमारी धरती पर आया। उसके बाद पूर्व दिशा से बाघ का आगमन हुआ। राजस्थान में प्राचीन काल में शासक जातियाँ अपने नाम के आगे ''सिंह'' शब्द का प्रयोग नहीं करती थी, लेकिन सिंह के आगमन के बाद उसको शक्ति का प्रतीक मानकर अपने आप को शक्तिशाली बताने के लिये शासक स्वंय के नाम के आगे ''*सिंह*'' शब्द लगाने लगे। क्षत्रिय समुदाय में आज तक नामकरण का यह स्वरूप प्रचलित है। बाघ के आगमन के बाद उसने अपनी चंचलता, क्रोधीले स्वभाव व आक्रामकता का लाभ लेकर सिंह को खदेड़ना प्रारम्भ किया। सिंह दक्षिणी राजस्थान के सिरोही जिले में आबू में 1881 एवं अनादरा में 1872 तक विद्यमान था। इसके बाद सिंह राजस्थान से समाप्त हो गया तथा राज्य के सम्पूर्ण अरावली, विंध्याचल एवं मालवा पठार के वनों में बाघ का फैलाव हो गया। अरावली के पश्चिम में थार रेगिस्तान में बाघ का फैलाव नहीं हुआ।

बाघ दक्षिणी राजस्थान के शासकों का प्रिय प्राणी रहा है। शाही परिवार व मेहमान बाघ का शिकार मनोरंजन करने व वीरता प्रकट करने हेतु करते थे। तत्कालीन समय में बाघ व अन्य प्राणियों का शिकार ''आखेट'' कहलाता था। शासकों ने बाघों को संरक्षण दिया लेकिन आजादी के बाद दक्षिणी राजस्थान में बाघों का तेजी से विनाश हुआ। सघन वन विद्यमान होने के बावजूद बाघ यहाँ से समाप्त हो गये। राज्य की दो बाघ परियोजनायें क्रमशः अलवर जिले के सरिस्का एवं सवाई माधोपुर के रणथम्भौर में प्रचलन में हैं। दक्षिणी राजस्थान में बाघों के समाप्त हो जाने से यहाँ कोई बाघ परियोजना प्रारम्भ नहीं हो सकी।

भले ही दक्षिणी राजस्थान में आज बाघ नहीं बचे लेकिन बाघों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ का अतीत वैभवशाली रहा है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बाघों से जुडे अनेक पहलू हमें ज्ञात हैं (अलफ्रेड एवं अन्य 2006, अनाम 1933, बर्के 1928, चौधरी 2008, घोश 2007, कर्नल सिंह 2002, कोठारी एवं छपगर 2005, मीणा 2003, रिचर्डसन 1992, सहगल 1974, सिन्हा 1989, शर्मा 2007) लेकिन अनेक तथ्य असूचित एवं अप्रकाशित हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में उन अज्ञात पहलुओं को प्रकाश में लाने हेतु प्रयास किया गया है।

2. अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन काल

बाघों से जुडे विविध पहलुओं का अध्ययन करने हेतु सारे राजस्थान के वनों का अवलोकन किया गया लेकिन दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, राजसमन्द, चितौड़गढ, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही एंव भीलवाड़ा के वनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह अध्ययन 1986 से 2012 तक किया गया।

3. अध्ययन विधि

बाघ से संबधित पहलुओं को जानने हेतु वनों में प्राचीन शासकों द्वारा बनाई शिकार औदियों (हन्टिंग टॉवर्स) को देखा गया। उनकी वास्तु विशेषताएं व भौगोलिक स्थिती के औचित्य को समझा गया। प्राचीन शासकों के समय ''हाका'' विधी से बाघ का शिकार करने के समय उपस्थित रहने वाले लोगों के परिवारों से बात की गई। तत्कालीन समय में शिकार में मदद लेने हेतु भीलों को राजघराने नौकरी देते थे। इन नौकरों को ''नौकरिया'' कहा जाता था (मीणा, 2003)। ''नौकरियों'' के परिवार अच्छी जानकारी के स्त्रोत होते हैं अतः उनसे भी सम्पर्क किया गया।

वनों में प्राचीन समय से ही उपलब्ध रहे जल स्त्रोतों का अध्ययन किया गया। प्राचीन शासकों के उत्तराधिकारियों से संपर्क कर विविध जानकारियाँ प्राप्त की गईं। तत्कालीन शासकों के महलों में लगी ट्राफियों व प्राचीन शाही दस्तावेजों का अध्ययन किया गया तथा सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। खासकर विभिन्न जिलों की कार्य योजनाओं में उपलब्ध जानकारियाँ हाँसिल की गयी। राजघरानों में अपनी सेवायें दे चुके बुजुर्गों व शिकारियों से भी जानकारियां संग्रह की गयी ।

4. परिणाम एवं विवेचना

4.1. दक्षिणी राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले बाघ की स्थिति

राजस्थान में बाघ को बोलचाल में वाघ, नार, नाहर, शेर, आदि नामों से जाना जाता है। दक्षिण राजस्थान में आजादी से पहले बाघों का बाहुल्य था। जगह–जगह बाघों के लिए वन सुरक्षित थे, जहाँ शाही परिवार शिकार आयोजन करते थे। आज उन वन क्षेत्रों में सज्जनगढ़, जयसमन्द, फुलवारी की नाल, कुम्भलगढ़, टॉड़गढ़–रावली, सीतामाता, बस्सी, भैसरोड़गढ़ एवं आबू पर्वत कुल नौ अभयारण्य अस्तित्व में हैं। इन सबमें कभी बाघों का वितरण–विचरण था। विभिन्न वन क्षेत्रों के बीच आबादी व कृषि भूमि का फैलाव अपेक्षाकृत कम था तथा वनों में दूर–दूर तक निरन्तरता थी। सडकों का जाल सीमित था तथा उन पर वाहन आवागमन व मानवजनित व्यवधान भी तुलनात्मक रूप से कम था। फलतः एक जगह से दूसरी जगह बाघों का दुर्घटना रहित आवागमन होता रहता था। उदाहरण के लिये गुजरात के विजयनगर, पोलो वन, आँतरसुबा आश्रम, अम्बाजी आदि क्षेत्रों के वनों की राजस्थान के उदयपुर जिले के पानरवा, डैया, अम्बासा के वनों से निरन्तरता थी जो आज फुलवारी की नाल अभयारण्य के भाग हैं। ऐसी ही वनों की निरन्तरता गुजरात राज्य के साथ डूंगरपुर से बाँसवाडा जिलों तक एवं जालौर जिले के जसवन्तपुरा व सुन्दामाता वनों में थी। आज राजस्थान के पानरवा क्षेत्र के ये वन उत्तर दिशा में उदयपुर जिले के ही ओगणा, जूडा, देवला, खोखरिया की नाल से होते हुये वर्तमान कुंभलगढ़ अभयारण्य तक फैले थे। कुम्भलगढ़ अभयारण्य के वन वर्तमान टाड़गढ़–रावली के वनों से जुडे थे तथा यह निरन्तरता आगे अजमेर जिले की पहाडियों

पर विद्यमान वनों तक थी। दक्षिणी राजस्थान में बाघ ऊपर अंकित वर्तमान अभयारण्यों के अतिरिक्त दूर–दूर तक वितरण में थे। दक्षिणी राजस्थान के संतु जंगल, जामुनिया की नाल, चंदेसरा, कटार, बरवाडा, घोड़च, चीरवा घाटा, उदयसागर, बाघदड़ा, नाहर मगरा, बोरी कुँआ, सीसा मगरा, बेडावल, सलुम्बर, उभेश्वर, नाल मोखी, ड़ोड़ावली, बांकी, कलेर वन खण्ड का चूनावेरी नामक स्थल, देबारी आदि क्षेत्रों के वनों में बाघों का निवास था। बाघों को भोजन के रूप में सांभर, चीतल, जंगली सुअर, नीलगाय आदि खाने को उपलब्ध रहते थे। इन क्षेत्रों के शिकार हेतु औदियां(शिखर टॉवर्स) जगह–जगह बनी हुई थीं। औदियां विश्राम करने, बाघ व दूसरे प्राणियों की स्थिति जानने हेतु वाच टावर के रूप में उपयोग करने, आखेट खेलने एवं शिकार गाहों के प्रबंधन हेतु बनायी जाती थी। इनको वनों में आग लगने के स्थलों को पहचानने हेतु भी उपयोग किया जाता था। शिकार औदियों का जगह–जगह होना अपने आप में पुष्ट प्रमाण है कि बाघ इन जंगलों में विद्यमान थे। कुछ औदियों का विवरण नीचे सारणी में प्रस्तुत है–

स.	स्थिति	औदियों की संख्या	विशेष विवरण
.	उदयपुर–नाथद्वारा मार्ग पर देलवाडा के पास सडक के पूर्व दिशा में (जिला उदयपुर)	1	पहाड़ी पर वन क्षेत्र के बीच स्थित
.	जयसमन्द अभयारण्य(जिला उदयपुर)	8	जयसमन्द की 8 औदियों में से तीन गमधर, सलादिया कोट (चित्र 1) एवं चाटपुर की जनाना बहुमंजिली औदियां हैं जो सघन वन में पहाड़ी पर विद्यमान हैं। जयसमन्द में ढीमडा बाग महल भी बाघ व प्राणियों के आखेट के काम आता था।
.	मेनाल क्षेत्र, नाका मेनाल, रेंज मॉडलगढ़, (जिला भीलवाडा)	1	नया नगर वन खण्ड में डामटी शिकार औदी सघन वन क्षेत्र में स्थित है।
.	डेट रेलवे स्टेशन के पश्चिम दिशा में (जिला भीलवाड़ा)	1	दो पर्वत चोटियों के बीच सघन वन क्षेत्र में स्थित।
.	कालका माता पौधशाला क्षेत्र, वन मण्डल उदयपुर(जिला उदयपुर)	1	"नाहर औदी" नामक यह एक मंजिल की औदी आंशिक रूप से भूमिगत है। बाघ आखेट की प्राचीन चित्रकारी आन्तरिक दिवारों पर अभी भी विघमान है। संवत 1945 में महाराणा फतहसिंह ने इस औदी का जीर्णोद्धार कराया था।
.	सज्जनगढ़ अभयारण्य, उदयपुर	8	उदयपुर शहर की पश्चिमी सीमा पर सज्जनगढ़ वन खण्ड में मात्र 5.19 वर्ग किमी क्षेत्र में इतनी औदियों की संख्या उस समय के बाघों का घनत्व प्रकट करती हैं।
.	सीतामाता पौधशाला के सामने शाही परिवार का निजी वन, पिछोला झील के किनारे, उदयपुर	1	"खास औदी" नामक विशाल व खूबसूरत महलनुमा औदी लगभग समतल पहाडी क्षेत्र में धौक के सघन वन क्षेत्र में विघमान है।
.	कलेर वनखण्ड, उदयपुर(उत्तर) वन मण्डल(जिला उदयपुर)	5	"खीला माचडा औदी," "बदणिया मथारा औदी" काफी प्रसिद्ध हैं जो सघन वन में स्थित हैं।
.	बेदला(जिला उदयपुर)	3	बेदला गांव के उत्तर में पहाड़ी में सघन जंगल मे भव्य औदियां हैं ।
).	मेजा बांध, जिला भीलवाडा	1	पहाडी पर सघन वन क्षेत्र में स्थित।
1.	बांकी वनखण्ड, उदयपुर	5	सघन वन क्षेत्र में स्थित 1 एक औदी बहुमंजिली एवं बहुत भव्य है जो पठारनुमा क्षेत्र में सघन वन के बीच स्थित हैं। अन्य औदियां भी सघन वन क्षेत्र में स्थित हैं ।
2.	बाघदड़ा, उदयपुर	3	"जनानी औदी" नाले के किनारे सघन वन में है। दो औदियां ऊंचे चबूतरेनुमा हैं।
3.	बडा मगरा वन खण्ड(मोटा मगरा), उदयपुर	1	सघन वन क्षेत्र में उदयसागर के स्लूईश गेट की तरफ स्थित है।
4.	हिंगलासिया वन खण्ड(जिला उदयपुर)	4	सघन वन क्षेत्र में स्थित है।
5.	सेगरिया वन खण्ड(जिला उदयपुर)	1	सघन वन क्षेत्र में स्थित है।
6.	नाहर मगरा वन खण्ड(जिला उदयपुर)	4	नहरों की उपस्थिति से अपना नामकरण पाने वाला यह वन क्षेत्र बाघों की उपस्थिति के लिये जाना जाता था।
7.	लोढ़िया वन खण्ड, रेंज सराड़ा (जिला उदयपुर)	1	छोटी पहाड़ी पर स्थित है ।
8.	बस्सी अभयारण्य, जिला–चितौड़गढ़	1	आमझरिया औदी भव्य औदी है जो सघन वन में स्थित है।
9.	बल्ला बारी(नारा मगरा), डूँगरपूर	1	बाघ के शिकार एवं प्रर्दशन हेतु विशेषज्ञता पूर्वक डिजाइन की हुई सुन्दर औदी गेप सागर से थोडी दूर धौक वन के बीच स्थित है।

दक्षिण राजस्थान में सघन वन खण्डों में औदियों का जाल तत्कालीन समय में बाघों व बाघ आवास में मिलने वाले दूसरे वन्यप्राणियों की अच्छी संख्या को प्रमाणित करता है। कभी–कभी औदियों की बजाय वनों में स्थित महलों को भी आखेट में प्रयोग किया जाता था। सज्जनगढ़ अभयारण्य में सज्जनगढ महल के दक्षिणी–पूर्वी किनारे के पास बकरा बांधने का एक मजबूत पत्थर खूंटे के रूप में गड़ा हुआ है जिसमें छेद है। यहाँ मोटे रस्से से बकरे को खूंटे से बेंट के रूप में बांधा जाता था तथा बाघ का आखेट किया जाता था। खूंटे में छेद से रस्से को बांधने से बकरे के रस्सा तोड़कर या खिसकाकर भागने का अंदेशा नहीं रहता था। ''बेंट'' को स्थानीय भाषा में ''खज'' कहा जाता था (डॉ0 रजा तहसीन, निजी वार्तालाप, 2010)। इस क्षेत्र में बकरे एवं छोटे पाड़ों (भैंस का बच्चा) को खज के रूप में प्रयोग लिया जाता था।

तत्कालीन समय में शिकार किये बाघों के छाया चित्र, खालें, व ट्रांफियाँ आज भी तत्कालीन शासकों व ठिकानेदारों के निवासों में सुसज्जित मिलते हैं। उदयपुर मेवाड शासकों का गढ़ रहा है। दुश्मनों के हमलों से बचने हेतु चितौड़गढ़ के बाद शासकों ने उदयपुर को अधिक सुरक्षित पाया। कालान्तर में यहाँ उदयपुर शहर बस गया। उदयपुर शहर के पास के वन क्षेत्रों में 20 किमी की परिधि में तीन दर्जन शिकार औदियां हैं। शहर में व आस–पास जन–धन की हानि रोकने हेतु बाघों व तेंदुओं का आखेट चलता रहता था।

4.2 बाघ शिकार के अनूठे दस्तावेज

रियासतकालीन समय में बाघ के शिकार संबधी आंकड़े रिकार्ड में रखे जाने का चलन था। शिकार किये जानवरों की लम्बाई अंकित की जाती थी। शिकारगाहों में कई जगह रजिस्टर तक संधारित किये जाते थे। टॉड़गढ़–रावली अभयारण्य में वर्तमान रावली रेंज कार्यालय के पास सुन्दर विश्राम गृह स्थित है। यह ब्रिटिश काल से ठहरने व आखेट में उपयोग होता रहा है। यहाँ ठहरने वाले लोग शिकार किये गये प्राणी का पूरा ब्यौरा अपने हाथ से अग्रेजी में अंकित करते थे। टॉड़गढ़–रावली अभयारण्य के इस दस्तावेज में दर्ज कुछ बाघ शिकार के नमूने अवलोकनीय हैं–

क्र.सं.	दिनांक	आखेट किये बाघों की संख्या	विशेष विवरण
1.	24.5.1948	1	–
2.	15.1.1949	1	–
3.	2.7.1953	2	एक शॉट में दोनों को मारना अंकित है
4.	11.9.1954	1	टॉड़गढ़ ब्लाक में एक शॉट से मारना अंकित है। खूंटी लम्बाई 9 फुट 8 इन्च अंकित है।

ये विवरण दर्शाते हैं कि टॉड़गढ़–रावली क्षेत्र में आजादी के बाद भी बाघों की संख्या इतनी थी कि वहाँ आखेट किया जा सकता था जबकि आज वहाँ बाघ नहीं हैं। आज पूरा दक्षिण राजस्थान बाघ विहीन है लेकिन भूतकाल में यह क्षेत्र बाघों से आबाद रहा। दक्षिणी राजस्थान में बाघों के समाप्ति के दौर में उनके उपस्थित होने के कुछ और स्पष्ट प्रमाण निम्नलिखित हैं–

क्र.सं.	वर्ष	स्थान	विवरण	सूचना का आधार
1.	1930–1949	डूंगरपुर जिले के वन क्षेत्र	30 से ज्यादा बाघ तत्कालीन डूंगरपुर रियासत की भौगोलिक सीमा के वन क्षेत्र में थे।	श्री समर सिंह (निजी वार्तालाप, 2007)
2.	1933	पालीसोड़ा (रेंज बिछीवाड़ा)	वन क्षेत्र में शिकार किया गया।	उदयविलास पैलेस डूंगरपुर में ट्रॉफी विद्यमान
3.	1937, 1941	डूंगरपुर	राजधानी वन खण्ड में शिकार किया गया।	उदयविलास पैलेस डूंगरपुर में ट्रॉफी विद्यमान
4.	1938	डूंगरपुर	आमझरा वन खण्ड में शिकार किया गया।	उदयविलास पैलेस डूंगरपुर में ट्रॉफी विद्यमान
5.	1943–44	जोगनमाता क्षेत्र (फुलवारी अभयारण्य)	पानरवा ठिकाने के 21वें राणा श्री मोहब्बत सिंह द्वारा शिकार किया गया।	शर्मा, 2000; 22वें राणा मनोहर सिंह सोलंकी(निजी वार्तालाप, 2002–2007)
6.	1945	सीतामाता (वर्तमान में अभयारण्य है)	क्षेत्र में जब–तब आसानी से देखे जा सकते थे	श्री हर्षवर्धन (निजी वार्तालाप, 2012)

7.	1946	चूल रवैया(रेंज बिछीवाड़ा)	वन क्षेत्र में शिकार किया गया ।	उदयविलास पैलेस डूंगरपुर में ट्रॉफी विद्यमान
8.	1950	ओगणा–रामकुण्डा, पानरवा व ढेड़मारिया वन खण्ड	बाघ वन क्षेत्र में दिखाई देते थे।	राणा मनोहर सिंह सोलंकी (निजी वार्तालाप, 2002–2007)
9.	1952	ओगणा	मण्डल वन अधिकारी, उदयपुर ने ओगणा वन क्षेत्र में आदमखोर बाघ को मारने हेतु प्रसिद्व शिकारी ए0 के0 तहसीन को पत्र लिखा।	मण्डल वन अधिकारी, उदयपुर का पत्र क्रमांक सी/1661 दिंनाक 22.09.1952
10.	1953	पालीसोड़ा(डूंगरपुर)	बाघ का शिकार होने की जानकारी है।	सहगल, 1974
11.	1960	ढ़ेडमारिया वन खण्ड (फुलवारी की नाल अभयारण्य)	एक बाघ का शिकार तत्कालीन उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, श्री हीरापुरी गोस्वामी ने किया।	तत्कालीन जूड़ा ठिकाने के पुलिस अधिकारी श्री अब्दुल अजीज फौजदार द्वारा उपलब्ध कराया बाघ एवं शिकारियों का श्वेत–शाम फोटो(शर्मा, 2007)
12.	1962	मामेर	मामेर के पास के जंगल में एक बाघ रहता था जो कई बार ठिकाने के तालाब पर पानी पीने आता था।	राव हिम्मत सिंह सोलंकी (निजी वार्तालाप, 2002)
13.	1964	तख्ता जी का वेरा	राव सज्जन सिंह के पिता ने शिकार किया।	राव सज्जन सिंह धाणेराव (निजी वार्तालाप, 2002)
14.	1967	बांकी वन खण्ड	एक मादा बाघ का शिकार किया गया।	रजा तहसीन (निजी वार्तालाप, 2010)
15.	1972	कालाटूक वन क्षेत्र (कुभंलगढ़ अभयारण्य)	आदम खोर हो जाने से श्री सज्जनसिंह धाणेराव द्वारा शिकार किया गया।	राव सज्जन सिंह धाणेराव, (निजी वार्तालाप, 2002)
16.	1973	देबारी	सडक पार करते देखा।	रजा तहसीन (निजी वार्तालाप, 2010)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है आजादी के बाद तक दक्षिण राजस्थान में बाघ उपस्थित थे। 1970 तक क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति के प्रमाण मौजूद हैं। बाघ का शिकार 1972 तक होने की सूचना है। तत्समय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आने के बाद ही शाही शिकार पर रोक लगी। उपरोक्त सूचना से स्पष्ट है कि दक्षिण राजस्थान में बाघ 1970 से 1980 के बीच विलुप्त हुआ।

4.3 बाघ से जूड़े भूमि चिन्ह

दक्षिणी राजस्थान में वनों का विस्तार बड़े भू–भाग पर रहा है। उसी अनुपात में बाघ भी दूर–दूर तक विद्यमान थे। बाघों के नाम पर अनेक जगहों का नामकरण भी हुआ। बाघ तो आज नहीं रहे लेकिन भूमि चिन्हों के बाघ से जुड़े नाम आज भी प्रचलित हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं–

क्र.सं.	स्थान	बाघ से नाम पाये स्थल का विवरण	नामकरण का कारण
1.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	''वाघ रा भेंगरा''	इस पहाडों में पहले कई वाघ (बाघ) निवास करते थे अतः यह नाम पडा ।
2.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	''वाघ रा पानी''	इस जल स्त्रोत पर वाघ (बाघ) पानी पीने आया करते थे अतः यह इसी नाम से प्रसिद्व हो गया ।
3.	नाहर मगरा	''नाहर मगरा'' (नाहर=बाघ , मगरा=पर्वत)	उदयपुर – मावली मार्ग पर स्थित इस पहाडी वन क्षेत्र में कभी नाहर (बाघ) रहा करते थे अतः पहाड़ का यह नाम प्रचलन में आया ।

बाघ के नाम पर जगहों के ये नाम यों ही नहीं पड़े। कभी बाघों की उपस्थिति उस स्थान पर होने के कारण ही ये नाम प्रचलन में आये जो आज भी यथावत चलन में हैं।

5. दक्षिणी राजस्थान में बाघ शिकार की प्रचलन में रही आखेट विधियाँ

दक्षिणी राजस्थान में अनेकों बाघ–आखेट विधियों का चलन था। कुछ विधियाँ निम्नलिखित हैं–

5.1 टोकरा विधि– डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह अच्छे शिकारी तो थे ही, अच्छे वन्यप्राणी विशेषज्ञ भी थे। उन्होंने बाघ के शिकार के लिए अपना अलग तरीका इजाद किया। एक टोकरे में चार छेद कर टोकरे में बकरे को बिठा कर उसके चारों पैर नीचे लटका दिये जाते थे। बकरे की पीठ पर से एक रस्से को निकाल, टोकरे के किनारों से बांधा जाता था ताकि बकरा टोकरे से निकल कर भागे नहीं। इस टोकरे को हवा में चार रस्सों की मदद से वृक्ष पर इतना ऊँचा लटकाया जाता था कि बाघ उछल कर भी टोकरे को पकड़ नहीं पाए। शिकारी उचित दूरी पर रहकर बाघ का इंतजार करते तथा बाघ आकर जब बकरे को लपकने के प्रयास में हवा में उछलता, उसका शिकार किया जाता था।

5.2 **मचान विधि**– जूड़ा, मामेर व पानरवा ठिकाने के जंगलों में शिकार औदियां बनाने का चलन नहीं था। बाघों के पद चिन्हों के जानकार खोजी की सूचना पर बाघों के आवागमन क्षेत्र में पाड़ा बांध कर बेटिंग की जाती थी। शिकारी वृक्षों पर बनाये मचान या चारपाई के लटकते मचान पर बैठकर शिकार करते थे। इस तरह से शिकार शरद व ग्रीष्म के मौसम में किया जाता था। वर्षा में इन क्षेत्रों के वनों में नदी–नालों में पानी की अधिकता हो जाती थी तथा सामान्य आवागमन बुरी तरह बाधित हो जाता था। अतः वर्षा में बाघ आखेट नहीं होता था। शिकार हेतु सर्दी सबसे अच्छा समय माना जाता था। उस समय मक्खी–मच्छरों का प्रकोप भी कम हो जाता था जिससे मचान पर देर तक बैठने से कठिनाई नहीं होती थी। इस समय सर्दी की फर आ जाने से मारे गये प्राणियों के शरीर से गहरे रंग व धब्बों की खाल भी प्राप्त होती थी।

5.3 **टाटी विधि**– मचान व शिकार औदी की बजाय घास–पात की एक टाटी बना कर, उसे जमीन पर रख कर, उसके पीछे छिपते हुए बाघ शिकार का नया तरीका महारावल लक्ष्मण सिंह ने प्रारम्भ किया। इस विधि में सफलता हेतु बहुत अनुभव एवं कौशल की जरूरत होती है (कर्नल गुमान सिंह, 2002)।

5.4 **हाका विधि**– इस विधि में मचान या औदी में शिकारकर्ता बैठते तथा एक तरफ से हाका करते हुए कुछ लोगों की भीड बाघ को शिकारी की तरफ से गुजरने को बाध्य करती। हाका शान्त, हल्ला करते हुये या ढोल पीटते हुए किया जाता था। जैसे ही बाघ शिकारकर्ता के सामने से गुजरता, उस पर गोली दागी जाती थी। हाका विधि को सफल बनाने हेतु औदियों के बनाने के स्थल का चुनाव काफी सोच–समझकर किया जाता था। औदी ऐसी जगह बनायी जाती थी जहाँ कोई व्यवधान न हो, जहाँ से दूर तक का दृश्य साफ दिखता हो तथा जहाँ से बाघ को किसी एक दिशा में भगाना या मोड़ना सहज रहता हो। कुछ औदियां निगरानी एवं निर्देशन के काम आती थी जो अपेक्षाकृत ऊँचाई पर बनायी जाती थी तथा शिकारियों द्वारा काम में ली जाने वाली मुख्य औदी से वहाँ नेत्र–सम्पर्क सभंव रहता था।

6. बाघों का पुनः आबादीकरण

सम्भवतः दुनिया का पहला बाघ पुनः आबादीकरण राजस्थान की डूंगरपुर रियासत में हुआ। ''छप्पणिया अकाल'' की भीषण विभीषिका इसका कारण बनी । 1899–1900 ई0 में पड़ा अकाल ''छप्पणिया अकाल'' के नाम से प्रसिद्व है। भयंकर अकाल के कारण जंगलों की हरियाली व उत्पादकता अत्यन्त घट गई। चारे की बहुत अधिक कमी हो गई। पीने के जल स्त्रोत सूख गये। फलतः बहुत बडी संख्या में पालतू एवं जंगली शाकाहारी प्राणी मर गये। शाकाहारी प्राणियों के नष्ट हो जाने से बहुसंख्य मांसाहारी जीव भी भूखे मर गये। डूंगरपुर रियासत अकाल के दौरान बाघ विहीन हो गई।

डूंगरपुर रियासत से उदयपुर रियासत की सीमा सटी हुई थी। उदयपुर की खैरवाड़ा, संलूम्बर एवं धरियावाद तहसील डूंगरपुर की उत्तरी सीमा बनाते हैं। छप्पणिया अकाल के महाविनाश के उपरान्त भी खैरवाड़ा के जंगलों में कुछ बाघ बच गये थे। अकाल का प्रकोप कम होने पर डूंगरपुर के तत्कालीन शासक महारावल लक्ष्मण सिंह ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से खैरवाड़ा के कुछ बाघों को डूंगरपुर रियासत के जंगलों में प्रवेश कराने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए डूंगरपुर की सीमा पर राजधानी, वैणका वन क्षेत्र में बकरे व पाड़े

बांधे गये। खैरवाड़ा क्षेत्र के बाघ इस सहज भोजन की तरफ आकर्षित होने लगे। धीरे–धीरे बकरों–पाड़ों को बांधने के स्थान सीमा के अंदर की तरफ धीरे–धीरे खिसकाने प्रारंभ किये गये। अंततः डूंगरपुर सीमा में काफी अंदर तक बाघों को खीचने में मदद मिली। अन्दर आये बाघों में अनेकों ने वहीं अपना प्रभुत्व क्षेत्र बना लिया और वे डूंगरपुर के जंगलों में स्थायी रूप से रहने लगे। बाघ विहीन जंगल में पुनः बाघ आबाद हो गये। इस तरह विश्व का प्रथम बाघ पुनः आबादीकरण कार्य सफल साबित हुआ (श्री समर सिंह, निजी वार्तालाप, 2007)।

डूंगरपुर रियासत में 1907 में वन विभाग स्थापित हुआ इससे वन एवं बाघ संरक्षण व प्रंबधन को गति मिली। 1915 में बाघ डूंगरपुर वन क्षेत्र में पुनः दिखने लगे। वस्तुतः संख्या 3–4 ही थी। कुछ बाघ महारावल द्वारा शिवपुरी के वनों से भी मंगवाकर डूंगरपुर रियासत के जंगलों में छोड़े गये (श्री समर सिंह, निजी वार्तालाप, 2007)।

1935–1949 के मध्य बाघों की संख्या 20–25 पहुंच गयी। बाघों द्वारा मवेशी मारे जाने पर पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाता था इससे लोग बाघों को शत्रु के रूप में नहीं देखते थे। बाघ संरक्षण एवं प्रबंधन का यह अनुकरणीय उदाहरण है (श्री समर सिंह, निजी वार्तालाप, 2007)।

7. दुनिया की एकमात्र बाघ समाधि राजस्थान में

छप्पणिया अकाल के बाद डूंगरपुर के जंगलों में पुन बाघ आबाद करने हेतु महारावल ने शिवपुरी के जंगलों से भी कुछ बाघ लाकर डूंगरपुर के वनों में छोड़े। स्थानीय व बाहरी बाघों के मिलन से अन्तः प्रजनन की संभावना को कम करने का यह एक वैज्ञानिक प्रयास था। शिवपुरी से आये बाघों में एक बाघ का नाम महारावल द्वारा ''बोखा'' रखा गया था जो उनको काफी प्रिय था। बोखा नामक इस बाघ की मृत्यु 16.12.1934 को हुई। महारावल ने बोखा को उनके नवलखा फार्म पर नवलखा बावड़ी के किनारे दफन करवाया। बोखा की याद में उसकी समाधि बनायी गयी। समाधि पर लगे पत्थर पर हिन्दी में समाधिलेख (चित्र 2) के रूप में ''बोखा'' शब्द अंकित है तथा उसकी मृत्यु तिथि 16.12.1934 भी अंकित है। विश्व में सम्भवतः बाघ की यह एकमात्र समाधि है। दक्षिण राजस्थान में स्थित इस अजूबे की तरह ही उत्तरी राजस्थान में अलवर जिले में बाघ परियोजना सरिस्का की पूर्वी सीमा पर बालेटा गाँव के पास बाघ के साथ एक देवी रूप महिला के सती होने की किम्वदंती भी सुनने को मिलती है। आज उसे ''नाहर सती'' देवी के रूप में जाना व पूजा जाता है। वहाँ नाहर सती का मंदिर भी विद्यमान है। बाघ के प्रति सम्मान प्रकट करने के ये अनुपम उदाहरण राजस्थान में विद्यमान है।

8. ''लोगो'' में बाघ

राजस्थान के रजवाडों के ''लोगो '' में वन्यप्राणियों को काफी अपनाया गया है। दक्षिण राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के झाडोल ठिकाने में दो तरफ बाघ, क्रॉस रूप में लगी दो तलवारें जो ढाल के पीछे प्रदर्शित हैं जो ''लोगो'' के रूप में अपनायी गयी हैं। ढाल को सूर्य के प्रतीक में प्रदर्शित किया है तथा उसके केन्द्र में मानव मुख आकृति अंकित है। ''लोगो'' में बाघ का अंकन उसके प्रति शासकों का लगाव प्रदर्शित करता है ।

9. कानून अपने–अपने

मेवाड, डूंगरपुर आदि दक्षिण राजस्थान की रियासतों के अपने–अपने वन एवं वन्यप्राणी कानून थे। डूंगरपुर रियासत का वन्यप्राणियों से संबधित ''कानून हिफाजत जंगली जानवरान राज्य डूंगरपुर'' 10 सितंबर 1933 को स्वीकृत हुआ एवं 1 नवम्बर 1933 से लागू हुआ। इस कानून में धारा 2(2) में 12 प्राणियों यथा बाघ, तेंदुआ, शियागोह, रीछ, साँभर, चीतल, नीलगाय, काला हिरण, चौसिंगा या बुटार, बन्दर, मोर, एवं सारस को मारने पर प्रतिबंध था। धारा 5 में जंगली कुत्ता, जरख, वरी या भेड़िया, सियाल, सूअर, मगर तथा छोटे प्राणी जैसे चिंकारा, खरगोश, तीतर, मछली आदि मारने की स्वीकृति थी। जंगली कुत्ते को मारने पर खाल मय सिर पेश करने पर 31/– रूपये पुरस्कार राज्य द्वारा दिये जाते थे। जान–माल का खतरा होने पर दरबार (शासक) द्वारा धारा 6(1) में निषिद्ध जानवरों को भी मारने की स्वीकृति/छूट दी जाती थी। यहाँ स्पष्ट है बाघ व अन्य प्राणियों के शिकार पर पाबन्दी थी। साँभर व चीतल के शिकार पर भी पाबंदी थी जिससे बाघ के भोजन की सुरक्षा संभव हो पाती थी तथा प्राकृतिक खाद्य श्रृँखलाएं सुरक्षित रहती थी। वन्यप्राणियों की जंगलों में संख्या बहुत थी अतः आखेट का चलन भी था। सुरक्षा उपाय कड़े थे। वनों को प्रबंधित करने हेतु भी पृथक से नियम बनाये गये। उदाहरणार्थ डूंगरपुर रियासत ने ''कानून जंगल रियासत डूंगरपुर'' 1941 में बनाया गया जिसमें दफा 3(यानी धारा 3) में निम्न 7 तरह के जंगल वर्गीकृत कर उनका प्रबन्धन किया गया।

क्र.सं.	जंगल	प्रबन्धन विधि
1.	रावत नं. 1	शिकारगाह के रूप में प्रबंधित किये जाते थे। ये बाघ के मुख्य आवास थे तथा इन जंगलों से वन उपज हटाना मना था।
2.	रावत नं. 2	इन जंगलों में वन उपज नियमानुसार निकास की जाती थी।
3.	महफूज जंगल	इन जंगलो को सुरक्षित करार किया गया यानि यह सुरक्षित वन क्षेत्र थे।
4.	देवस्थान रखत मालवण	धार्मिक स्थानों के आस–पास के वन क्षेत्र ''रखत'' के रूप में बचाये जाते थे। ''रखत'' से आशय है धार्मिक उदेश्य से रखे जाने वाले वन।
5.	बीड़	घास के उत्पादन, संग्रह व चराई हेतु विशेष क्षेत्र ।
6.	गाँवई जंगल	गावों के आस–पास पड़त रकबा जिससे गाँवों को विभिन्न वन उत्पाद मिलते थे ।
7.	ओहदेदार जंगल	ऐसे वन जिनका राज्य के किसी ओहदे(पद) पर आसीन कोई व्यक्ति स्वीकृति उपरान्त उपयोग कर सकता था।

उपरोक्त प्रबन्ध व्यवस्था से लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती थी एवं वन्यजीव विशेषकर आवास भी सुरक्षित रहते थे। खासकर रावत न. 1 शिकारगाह के रूप में प्रबंधित होते थे जिनमें बाघ व अन्य प्राणियों को सुरक्षित एवं पारिस्थितिकीय दृष्टि से समृद्ध आवास उपलब्ध रखता था।

10. निष्कर्ष

दक्षिण राजस्थान में कभी सिंह की उपस्थिति थी। आबू, अनादरा, उदयपुर तक सिंह था (बर्के 1928, सिन्हा 1989)। आबू में 1881 एवं अनादरा में 1872 तक सिंह था (सिन्हा 1989; शर्मा 2007)। उन्नसवीं सदी के समाप्त होते–होते सिंह दक्षिण राजस्थान से समाप्त हो गये। वर्ष 1947 में आजाद होने एवं उसके बाद तीन दशक तक दक्षिण राजस्थान के जंगलों में बाघ की उपस्थिति थी। इसके बाद दक्षिण राजस्थान में बाघ 1970 से 1980 के मध्य समाप्त हुआ। मार्च 3, 1993 को डूंगरपुर वन मण्डल के सीमलवाड़ा रेंज के भरनी नाका के गराड़ा वन खण्ड में एक नर बाघ कहीं से भटक कर आ गया। आदिवासियों ने इस बाघ को मार डाला। वर्ष 1999 में माउन्ट आबू अभयारण्य में एक बाघ कहीं से आकर दिखने लगा (श्री महेन्द्र सक्सेना वनपाल, निजी वार्तालाप 1999)। इसी वर्ष 15 जुलाई, 2003 को दर्रा अभयारण्य में दर्रा की नाल में एक बाघ कहीं से आया जो रेल से टकरा कर मारा गया। अपनी सहज प्रवृत्ति से बाघों की अपने पुराने वितरण क्षेत्र में पहुंचने की ये घटनायें इंगित करती हैं कि प्राकृतिक आवासों को यदि समृद्ध रखा जाये एवं सुरक्षा प्रभावी रखी जाये तो पुनः आबादीकरण की संभावनाएं बनी रहती हैं।

धीरे–धीरे वनों का खण्डकरण बढ़ता चला गया। बाघ जिन प्राणियों पर भोजन के रूप में निर्भर करता था मनुष्यों ने उनका बड़े पैमाने पर शिकार कर बाघ के समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न की। अवैध शिकार हुए, बढ़ती जनसंख्या से वनों में मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ गया। खेती विस्तार हेतु वन विनाश हुआ। सभी नकारात्मक कारकों का सामूहिक प्रभाव यह रहा कि दक्षिण राजस्थान से सिंह के बाद बाघ भी समाप्त हो गया। बाघ को दक्षिणी राजस्थान में पुनः आबाद करने हेतु वर्तमान में उपयुक्त परिस्थितियां नहीं हैं। उपयुक्त आवास तो उपलब्ध हैं लेकिन टूटी खाद्य श्रृंखलाओं के कारण उसके भोजन की कमी है। पहले शाकाहारी प्राणियों की संख्या को बढ़ा कर उचित स्तर पर लाया जाये फिर पुनः बाघ को आबाद करना संभव है। दक्षिण राजस्थान में कुम्भलगढ़ एवं दक्षिण–पूर्वी राजस्थान में दर्रा अभयारण्य इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। तत्कालीन समय की शिकार औदियों का संरक्षण कर उन्हें परिस्थतिकीय पर्यटन से भी जोड़ा जा सकता है तथा आग लगने के स्थानों का पता लगाने एवं वन्यप्राणी गणना स्थल के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है। इन औदियों का प्रमाणिक दस्तावेजीकरण भी समय की मांग है।

11. आभार

लेखक वन विभाग के अधिकारियों– कर्मचारियों, देशी रियासत के ठिकानेदारों, ओहदेदारों, आदिवासियों एवं उन सभी का आभारी है जिन्होंने प्रस्तुत अध्ययन में सहयोग किया।

सन्दर्भ

1. रामकृष्ण, जे0 आर0 बी0; एवं गोपाल, राजेश(2006) "फॉनल डायवर्सिटी ऑफ टाइगर रिजर्व इन इण्डिया", खण्ड 1।
2. अनाम(1933) "कानून हिफाजत जंगली जानवरान राज्य डूंगरपुर" (न. 379, स्वीकृति दिंनाक 10 सितम्बर 1933)।
3. बर्के, एस0(1928) "द इण्डियन फील्ड शिकार बुक", ठाकर स्पिंक एण्ड कं0, कलकत्ता तथा शिमला।
4. चौधरी, बी0 आर0(2008) "वाइल्ड वर्डस ऑफ इण्डिया", लियोगी बुक्स, नई दिल्ली।
5. घोष, ए0(2007) ''विरासत'', वन विभाग, राजस्थान।
6. कर्नल सिंह, जी0(2002) ''ए ट्रिब्यूट टू मेहरावल लक्ष्मण सिंहजी एज कंजर्वेशनिस्ट'', चीतल, खण्ड 40, अंक 1–2, मु0पृ0 75–77।
7. कोठारी, ए0 एस0 एवं छपगर, बी0 एफ0(2005) "ट्रेजर्स ऑफ इण्डियन वाइल्ड लाइफ", बी0एन0एच0एस0 एण्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. मीणा, जे0 सी0(2003) "भील जनजाति का सॉंस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन", हिमान्शु पब्लीकेशन, उदयपुर तथा दिल्ली।
9. रिचर्डसन, डी0(1992) ''बिग कैट्स'', व्हिटर बुक्स, लन्दन।
10. सहगल, के0 के0(1974) "राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर", डूंगरपुर, मु0पृ0 1–408।
11. सिन्हा, एस0 के0(1989) "कलरफुल वाइल्डलाइफ ऑफ गुजरात", गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट।
12. शर्मा, एस0 के0(2007) "स्टडी ऑफ बायोडायवर्सिटी एण्ड एथनोबायोलॉजी ऑफ फुलवारी वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी, उदयपुर, राजस्थान", पी–एच0 डी0 थीसिस, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान।
13. शर्मा, एस0 के0(2010) "ए नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ हनुमान लंगूर सेम्नोपिथेकस एन्टेलस(ड्यूफ्रेज्न) एण्ड र्‌हेसस मैकेक मकाका मुलट्टा (जिमरमान) इन राजस्थान", जे0बी0एन0एच0एस0, खण्ड 107, अंक 1, मु0पृ0 48–51।

नोट– डूंगरपुर व दक्षिण राजस्थान में लंगूर को बन्दर व वांदरा कहा जाता है। इस क्षेत्र में बन्दर प्राकृतिक रूप से विद्यमान नहीं है (शर्मा 2010)।

चित्र–1
जयसमन्द वन क्षेत्र में स्थित शिकार औदी

चित्र–2
''बोखा'' बाघ की समाधि